न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या – 15/2016
रूबी कुमारी बनाम राज्य व अन्य

– :: आदेश :: –

29.1.16 प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील अपीलार्थी रूबी कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आँगनबाड़ी वाद 19/13 में दिनांक 16.12.2013 को पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है। यह अपील उप निदेशक, कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय से हस्तानान्तरित किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि :–

i. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आँगनबाड़ी वाद 19/13 में दिनांक 16.12.2013 को पारित आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया गया है के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

ii. दिनांक 03.02.2012 को समाज कल्याण निदेशालय के पत्रांक – 423 के अनुपालन में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिषी के पत्रांक – 322 दिनांक 23.05.2013 द्वारा वार्ड नं०–9 के आँगनबाड़ी सेविका पद लिए विज्ञापन निकाला गया था।

iii. महिषी वार्ड नं०–9 महिषी दक्षिणी से सेन्टर नंबर–218 महिषी उत्तर का गठन किया गया है।

iv. इसमें सरस्वती मिश्र को 73.55%, रूबी कुमारी को 72.88% एवं प्रतिमा देवी को 50.71% मेधा अंक दिखाया गया ।

v. सरस्वती देवी के पति लहटन चौधरी इन्टर कॉलेज, पस्तवार बलुआहा के प्राचार्य है, जिसके साक्ष्य स्वरूप नियंत्रण पत्र की छायाप्रति संलग्न की गयी है।

vi. आँगनबाड़ी मार्ग दर्शिका–2011 स्पष्ट करता है कि 6000/– से अधिक वेतन पाने वालों के परिवार का चयन नहीं किया जा सकता है।

vii. यह सत्य है कि सरस्वती देवी के पति लहटन चौधरी इन्टर कॉलेज, पस्तवार बलुआहा के प्राचार्य है।

viii. इस तरह सरस्वती मिश्रा चयन के योग्य नहीं है।

ix. दिनांक 05.06.2013 को आहूत आम सभा में मार्गदर्शन की माँग की गयी।

x. दोबारा 07.08.2013 को अवैध तरीके से सरस्वती मिश्रा का चयन कर लिया गया।

xi. सरस्वती मिश्रा के पति का मासिक आय दस हजार रूपये से अधिक है, जबकि प्राचार्य का मासिक आय छः हजार बतलायी गयी है जो विश्वसनीय नहीं है।

xii. सरस्वती देवी का चयन पूर्णतया अवैधानिक एवं नियम के विपरित है, इसलिए प्रसतु अपील दाखिल किया गया है।

xiii. विद्वान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने उभय पक्षों को सुनकर तथ्यों एवं परिस्थिति पर विचार किये बिना दिनांक 16.12.2013 को अपीलार्थी के वाद को खारीज कर दिया। इस तरह जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अपीलीय है।

xiv. आवेदिका के परोक्ष में आदेश पारित किया गया। फलतः अपील अलग से दाखिल किया जा रहा है।

अन्ततः अपीलार्थी ने कहा है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश से पूर्णतया असंतुष्ट होकर अपील दाखिल कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर अपीलार्थी के चयन की याचना की है, जिसके लिए निम्नांकित आधार प्रस्तुत किया गया है :–

i. वेतन एवं जमीन से प्राप्त आमदनी को आय में नहीं दिखलाया गया है। वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 का आय का विवरण भी नहीं दिया गया है।

ii. आम सभा में अपीलार्थी द्वारा आपत्ति की गयी थी कि सरस्वती मिश्रा के पति इन्टर कॉलेज, महिषी में प्रोफेसर इन चार्ज है, लेकिन आम सभा में सरस्वती देवी ने कहा था कि कॉलेज प्राईवेट मैनेजमेन्ट से चलता है। इस तरह यह कॉलेज प्राइवेज है और प्राइवेज मैनेजमेंट द्वारा

29.1.16

कोई वेतन भुगतान नहीं किया जाता है। संशोधित मार्ग दर्शिका 2011 सांचका नम्बर–ICDS/30020/01/2011/2897 दिनांक 10.06.2013 की कंडिका – 4 की उपकंडिका 4.9 प्रतिपक्षी सरस्वती देवी मिश्रा पर लागू नहीं है और अंचलाधिकारी से मार्गदर्शन की मांग की गयी। उच्चाधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्ति के उपरांत आवश्यक छानबीन के बाद प्रतिपक्षी सरस्वती देवी के नाम नियोजन पत्र निर्गत है।

iii. इसी मामले को लेकर अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील दायर किया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

iv. अपील वाद की कंडिका 10,11,12,13,14 एवं 15 को अस्वीकार किया जाता है। यह सही है कि अपीलार्थी के पति प्राईवेट कॉलेज के प्रोफेसर इन्चार्ज है एवं प्रतिपक्षी नंबर–2 सरस्वती मिश्रा ही चयन के योग्य सब तरह से योग्य उम्मीदवार पायी गयी।

प्रतिपक्षी का कहना है कि प्रस्तुत अपील विधि सम्मत नहीं है तथा प्रतिपक्षी–2 को तंग करने के उद्धेश्य से अपील दाखिल किया गया है। अपीलार्थी के पति बड़े व्यापारी है, जिनका सीमेन्ट, गिट्टी, बालू, रोड इत्यादि का जयसवाल ट्रेडर्स बलुआहा एवं महिषी में दुकान है, जिनके द्वारा चार चक्के का ट्रेक्टर भी व्यापार के लिए खरीदा गया। उनके पति के द्वारा कर की चोरी की जाती है। अपीलार्थी द्वारा प्रतिपक्षी को तंग करने के लिए प्रस्तु अपील दाखिल किया गया है।

v. अपील की कंडिका 16 को पूर्णतया अस्वीकार किया जाता है, क्योंकि उनके पति को मैनेजिंग कमिटी द्वारा वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। जिसका उल्लेख जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने भी अपने आदेश में किया है।

vi. अपील अर्जी की कंडिका 17,18,19,20 पूर्णतया अस्वीकार किया जाता है, क्योंकि प्रतिपक्षी सरस्वती मिश्रा का चयन पूर्णतया वैधानिक तरीके से किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपीलार्थी के पीछे पीछे आदेश पारित नहीं किया है, क्योंकि अपीलार्थी ने अपने अर्जी की कंडिका – 18 में अंकित किया है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनकर उनके आवेदन को खारीज कर दिया।

vii. सरस्वती मिश्रा के पति की मासिक आय 6000/– से अधिक नहीं है, जैसा कि महाविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र से स्पष्ट है।

viii. संबंधित कॉलेज सरकारी कॉलेज नहीं है और तथाकथित प्राचार्य की नियुक्ति सरकार के स्तर से नहीं किया गया है, बल्कि संविदा आधारित नियत वेतन पर की गयी है। इस तरह कॉलेज के प्राचार्य कहकर वेतन उठाने का आरोप मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के विपरित है।

अन्ततः प्रतिपक्षी ने उल्लिखित तथ्यों के आधार पर अपील खारीज करने का निवेदन किया है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। पोषक क्षेत्र में सामान्य वर्ग की बहुलता है। वर्तमान में सेविका के पति सरकारी/अर्द्धसरकारी, संविदा अथवा मानदेय आधारित कर्मचारी नहीं माने जा सकते है। अतः आँगनबाड़ी केन्द्र, महिषी (उत्तर) केन्द्र कोड संख्या–218, पंचायत–महिषी, वार्ड नं0–9 में आँगनबाड़ी सेविका के पद पर श्रीमती सरस्वती मिश्रा पति श्यामाकान्त मिश्र के चयन में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अतः अपीलार्थी श्रीमती रूबी कुमारी पति रजनीश चौधरी द्वारा दाखिल अपील वाद को खारीज किया जाता है।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

28.1.18
जिलाधिकारी,
सहरसा।

28.1.18
जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 05-2 /न्याया0, सहरसा, दिनांक 29-01-2018

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
29-01-2018
जिला विधि शाखा, सहरसा।